छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक 289 / 334 / जसं / तशा / औजप्र / 05 / डी–4, रायपुर, दिनांक 18 / 1 / 2006

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:– आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा. लिमिटेड, बिलासपुर द्वारा कोरबा जिले में प्रस्तावित 30 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट एवं कोल वाशरी हेतु जल–आहरण की स्वीकृति ।

संदर्भ:– 1. आपका पत्र क्रमांक–566 / 32 / भा / पी–2 / 04, बिलासपुर, दिनांक 25.05.2005
2. मंत्रालयीन पृ.क्र.–7559 / 7 / जसं / तशा / औजप्र / 01 / डी–4, दिनांक 21.12.2005

***

विषयांतर्गत प्रकरण में राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की दिनांक 08 / 12 / 2005 को संपन्न 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एवं संस्थान द्वारा कमिटमेंट चार्जेस, रू. 54000=00 का भुगतान विभाग को किए जाने के तारतम्य में आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्राइव्हेट लिमिटेड, बिलासपुर द्वारा जिला–कोरबा, ब्लाक–कटघोरा के कसईपाली ग्राम में प्रस्तावित 30 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट एवं कोल बेनीफिकेशन संयंत्र हेतु वांछित 5918 घ.मी. प्रतिदिन (2.16 मि.घ.मी. वार्षिक) जल जिला–कोरबा के ग्राम–कोरई के पास खोलार नाला में संस्थान के व्यय से स्टाप डेम के निर्माण उपरांत आहरण करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :–

1 संस्थान खोलार नाला के निर्धारित स्थल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था (स्टापडेम, इंटेकवेल / पंप हाऊस आदि का निर्माण एवं पाईप लाईन बिछाना) स्वयं के व्यय पर विभाग के अनुमोदन उपरांत स्वयं करेगा एवं आहरित जल की मात्रा के माप हेतु मानक यंत्र की स्थापना संस्थान को करनी होगी ।

2 संस्थान द्वारा वांछित जल खोलार नाला के दांये तट से, लगभग रू. 1.50 करोड़ की लागत के स्टापडेम के संस्थान के व्यय से निर्माण उपरांत प्रदाय किया जायेगा। संस्थान द्वारा वहन की गई राशि को जल संसाधन विभाग को देय जल–कर राशि में समायोजित किया जायेगा। स्टापडेम का स्वामित्व जल संसाधन विभाग के पास रहेगा। अवर्षा की स्थिति में संस्थान को ग्रीष्म काल में आवश्यक मांग के अनुरूप जल उपलब्ध न होने की स्थिति में स्वयं का स्टोरेज टैंक स्वयं के व्यय से बनाना होगा, जिसमें नाला के अधिकतम बहाव के दिनों में (जुलाई से अक्टूबर तक) स्वयं के व्यय पर आवश्यकतानुसार जल संग्रहण किया जाकर आवश्यकता के अनुरूप उपयोग में लाया जा सके ।

3. जल ले जाने हेतु भू-अर्जन एवं संबंधित अन्य जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संस्थान स्वयं के व्यय पर स्वयं करेगा ।

4. वास्तविक जल आहरण के आधार पर स्वीकृत जल-मात्रा का आंकलन एवं समीक्षा समय-समय पर शासन द्वारा की जायेगी ।

5. खोलार नाला से जल आहरण के प्रस्तावित स्थल के ऊपर एवं नीचे जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा एवं निर्माण किये जाने वाले एनीकट में संस्थान द्वारा वांछित जल के अतिरिक्त जल के उपलब्ध होने पर उसके उपयोग हेतु भी जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा ।

6. संस्थान स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

7. प्रकरण में प्रस्तावित 30 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट के अतिरिक्त भविष्य में विद्युत संयंत्र के विस्तार के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली अन्य इकाईयों के लिए संस्थान को छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के साथ पृथक से एम.ओ.यू. करना होगा ।

8. संस्थान, उपयोग के पश्चात अवन संयंत्र से निस्सारित जल का रि-साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्सरित करेगा ताकि क्षेत्र में जल प्रदुषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो ।

9. संस्थान को जल उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग से निर्धारित प्रपत्र-7 (क) में, मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर के अनुमोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा ।

10. शासन द्वारा औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय-समय पर निर्धारित जल-दर पर जल-कर एवं अतिरिक्त कमिटमेंट-चार्जेस का नियमानुसार भुगतान विभाग को किया जायेगा।

11. यह स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ो/परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य में किसी कारणवश नदी के जल प्रवाह में कमी होने पर शासन इसके लिये जवाबदेह नहीं रहेगा एवं इस संबंध में शासन के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा ।

12. संस्थान द्वारा नाले में निर्माण किए जाने वाले पम्प हाऊस एवं आहरित जल की मात्रा के माप हेतु मानक जल मापन यंत्र का निरीक्षण जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर किया जा सकेगा एवं संस्थान को आवंटित जल की मात्रा एवं उनके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग किये जा रहे जल की मात्रा की समीक्षा आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जा सकेगी ।

13. संस्थान को इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 वर्षों के अन्दर जल का उपयोग प्रारंभ करना होगा। इस निर्धारित छूट अवधि (2 वर्ष) के पश्चात भी आबंटिती द्वारा यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो प्रथम वर्ष में आबंटित / आरक्षित जल की सम्पूर्ण मात्रा का 5% अंश एवं दूसरे वर्ष में 10% अंश का जल–कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अन्दर भुगतान करनी होगी एवं उपरोक्त समस्त शर्तो का पालन करना होगा अन्यथा यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी ।

सहपत्रः—शून्य ।

सही/-
(विवेक ढाँड)
प्रमुख सचिव,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर

पृ.क्र. 290 / 334 / जसं / तशा / औजप्र / 05 / डी–4, रायपुर, दिनांक 18 / 1 / 2006

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. नोडल अधिकारी, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, मंत्रालय के पास (रेणुका द्वार), शास्त्री चौक, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.–114 / एस.आई.पी.बी. / 05 / 2283, दिनांक 17.5.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र.–3329 / 13 / ऊ.वि. / जल आबंटन समिति / 05, रायपुर, दिनांक 6.12.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।

4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा की ओर उनके ज्ञाप क्र.3301 / व.लं.लि / कोरबा, दिनांक 31.12.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5. जनरल मैनेजर (पॉवर प्लांट), आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्राईव्हेट लिमिटेड, चकाबुड़ा वासरी, पोस्ट–जवाली, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) की ओर उनके पत्र क्रमांक–003 / 08 / ए.सी.बी.पी.एल. / 05, दिनांक 26 / 11 / 2005 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सहपत्रः–शून्य ।

(हस्ताक्षर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, रायपुर